

प्रेषक,

इन्द्र प्रकाश,  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
रामपुर  
(आई०डी०- यू.पी. 6366)

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
रामपुर।

विषय- माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या 9691/IV-F-82(Pension)/Admin.(A)  
Dated: July 16, 2024 के अनुपालन में शासनादेश संख्या 14/2024/सा-3 -243/दस-  
2024/301(1)2024 दिनांक 28 जून, 2024 के क्रम में पुरानी पेंशन के विकल्प के संबंध में-  
महोदय,

सादर निवेदन है कि उपरोक्त शासनादेश के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/सिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो जिसका विज्ञान प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार का अधिसूचना संख्या Sa-3-379/X-2005-301(9)-2003 dated 28-03-2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के व्यवस्था की गयी है। प्रार्थी की नियुक्ति विज्ञप्ति संख्या ए-2/ई-1/2003 दिनांकित 22-28 नवम्बर, 2003 के अंतर्गत हुई है तथा उपरोक्त शासनादेश से आच्छादित है।

उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांकित 28 जून 2024 की व्यवस्था के क्रम में मेरे द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना गया है तथा पुरानी पेंशन चुने जाने का विकल्प पत्र संलग्न किया जा रहा है।


1. विकल्प पत्र,

अतः माननीय महोदय से सादर अनुरोध है कि प्रार्थी के विकल्प पत्र को संस्तुति एवं सहमति के लिए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करे।

सादर

दिनांक- 25-07-2024

भवदीय

  
(इन्द्र प्रकाश)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

रामपुर

(आई०डी०- यू.पी. 6366)

Office of the District Judge

Rampur

No. 577/T... Dated 26-07-2024

FORWARDED

District Judge, Rampur


शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक-

### विकल्प-पत्र

|  |  |
|--|--|
| 1-नाम-   | इन्द्र प्रकाश, आई. डी.- यू.पी.6366                           |
| 2-पदनाम-   | अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रामपुर                          |
| 3-वेतनमान-   | 178150/- (144840-194660 Level J-5)                           |
| 4-वर्तमान विभाग का नाम-  | न्याय विभाग  |
| 5-राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्त के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम- | कार्मिक एवं न्याय विभाग (नियुक्ति अनुभाग-4) उ०प्र० शासन लखनऊ |
| 6-विज्ञप्ति की तिथि-   | दिनांकित 22-28 नवम्बर 2003 (विज्ञापन सं. ए-2/ई-1/2003)       |
| 7-विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति तिथि-  | 26-05-2006 (संख्या 2430/दो-4-06-32(1)/2001 टी.सी.-1)         |
| 8-विभाग में योगदान तिथि-   | 14-06-2006   |
| 9-जन्म तिथि-   | 11-03-1976   |
| 10- सेवानिवृत्ति की तिथि-  | 31-03-2036   |

मैं, इन्द्र प्रकाश पुत्र श्री गोपी किशन लाल शासनादेश संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)2024 दिनांक 28 जून 2024 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाए।

हस्ताक्षर

  
25/07/24


नाम- इन्द्र प्रकाश (आई. डी.- यू.पी.6366)

पदनाम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रामपुर (उ०प्र०)

### घोषण-पत्र

मैं, नाम- इन्द्र प्रकाश (आई. डी.- यू.पी.6366) पदनाम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या 01 ता 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

  
25/07/24

नाम- इन्द्र प्रकाश (आई. डी.- यू.पी.6366)

पदनाम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रामपुर (उ०प्र०)

### संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाएगा

श्री इन्द्र प्रकाश (आई. डी.- यू.पी.6366) पदनाम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उपरोक्त तथ्य के आधार पर पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

  
26.7.2024  
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति  
RAMPUR (U.P.)